संख्या-सी०पी०-3547/15-7-16(73)/99

प्रेषक,

श्री नारायण सिंह निरंजन,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 कम्युनिटी सेन्टर,
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग लखनऊ : दिनांक 03 जनवरी, 2000

विषय:- बाबा कढेरा सिंह विद्या मंदिर, नगला अक्खा नौह मार्ग, जिला मथुरा को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बाबा कढेरा सिंह विद्या मंदिर, नगला अक्खा नौह मार्ग, मथुरा को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

(1) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(2) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(3) विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय को सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषद से की सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

(5) संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

.....2,

PRINCIPAL
Baba Kadhera Singh Vidya Mandir
Akkha, Mathura-281123

(6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(7) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उसका पालन करेगी।

(8) विद्यालय का रिकार्ड/निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा निम्न कार्यवाही एक वर्ष के भीतर पूर्ण की जाय:-

(1) विद्यालय का भवन का निर्धारित माप के हो।

(2) शासनादेश दि0 30-11-91 में अंकित प्रतिबन्धों का संस्था की नियमावली में समावेश कराया जाय।

(3) विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापकों, लिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का वेतन राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य वेतनमान के अनुरूप दिया जाय।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(साहब सिंह निरंजन)
विशेषकार्याधिकारी

पृ0सं0-छ0स0-3547(1)/13-7-99 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा।
4- निरीक्षक, अखिल भारतीय विद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5- प्रबन्धक, बाबा कढ़ेरा सिंह विद्या मंदिर, नगला अक्खा सोरव मार्ग, जिला-मथुरा।

आज्ञा से,

(साहब सिंह निरंजन)
विशेषकार्याधिकारी

PRINCIPAL
Baba Kadhera Singh Vidya Mandir
Akkha, Mathura-281123